रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2395] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 13, 2012/अग्रहायण 22, 1934

No. 2395] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 13, 2012/AGRAHAYANA 22, 1934

## पर्यावरण और वन मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2012

**का.आ. 2896(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1996 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006) द्वारा निदेश दिया था कि उसके प्रकाशन की तारीख से ही नई परियोजनाओं या क्रियाकलापों का अपेक्षित संनिर्माण या उक्त अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों का विस्तार या आधुनिकीकरण, प्रक्रिया और या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन सहित क्षमता में परिवर्धन करते हुए भारत के किसी भाग में, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार से या केन्द्रीय सरकार द्वारा इसमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन गठित राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा केवल पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के पश्चात् ही किया जाएगा ।

और उक्त अधिसूचना में अधिसूचना संख्यांक 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा संशोधन किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे खान पट्टे के, जिसके लिए परियोजना प्रस्तावक द्वारा नवीकरण की तारीख के एक वर्ष पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन किया जाना अपेक्षित है, नवीकरण के स्तर पर खनन परियोजनाओं [संदर्भ: का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा मूल अधिसूचना की अनुसूची की मद (क)] की बाबत पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अभिप्राप्त करने के लिए उपबंध किया गया है ।

और यह विनिश्चत किया गया है कि पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए खान पट्टे के नवीकरण की देय तारीख के एक वर्ष पूर्व की विहित कालावधि को बढ़ाकर दो वर्ष किया जाना चाहिए और ऐसे सभी खान पट्टों के लिए जो आवश्यक विधिमान्य पर्यावरणीय अनापत्ति सहित 4 अप्रैल, 2011 को क्रियाशील थे और जिनका नवीकरण 4 अप्रैल, 2011 को या उसके पश्चात् देय है, पर्यावरणीय अनापत्ति अभिप्राप्त करने के लिए का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा जारी अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की कालावधि दिए जाने का विनिश्चय भी किया गया है ।

और उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियमों का नियम 5 का उप-नियम (3) का खंड (क) यह उपबंधित करता है कि जब कभी केन्द्रीय सरकार यह विचार करती है कि किसी उद्योग पर या किसी क्षेत्र में किन्हीं प्रक्रियाओं या प्रचालन को चलाने पर प्रतिषेध या निर्बन्धन अधिरोपित करना चाहिए तो वह ऐसा करने के लिए अपने आशय की सूचना देगी ।

और उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियमों का नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंधित करता है कि उप-नियम (3) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार को जब कभी यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, यह उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकेगी ।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित उक्त पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में मद 1(क) के सामने, स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"साधारण शर्तें लागू होंगी ।

**टिप्पण :**

(i) खान पट्टे के नवीकरण के प्रक्रम पर पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित है जिसके लिए आवेदन नवीकरण की देय तारीख से दो वर्ष पूर्व किया जाएगा । इसके अतिरिक्त उन सभी खान पट्टों के लिए, जो आवश्यक विधिमान्य पर्यावरणीय अनापत्ति सहित 4 अप्रैल, 2011 को क्रियाशील थे और जिनका नवीकरण 4 नवम्बर, 2011 को या उसके पश्चात् देय हो गया है, पर्यावरणीय अनापत्ति अभिप्राप्त करने के लिए 4 अप्रैल, 2011 से दो वर्ष की कालावधि दी गई है ।

(ii) खनिज पूर्वेक्षण छूट प्राप्त है ।"

[फा. सं. 3-101/2010-आईए-III]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :**—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007, का.आ. सं. 3067(अ), तारीख 1 दिसम्बर, 2009 और का.आ. सं. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा संशोधित किए गए ।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2012

**S.O. 2896(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests *vide* number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (Environment Impact Assessment Notification, 2006) issued under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of Section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of sub-rule (3) of rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government directed that on or from the dates of publication, the required construction of new project or activities or the expansion of modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to the said notification entailing the capacity addition with change in process and or technology shall be undertaken in any part of India only after prior environment clearance from the Central Government or as the case may be, by the State Level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of Section (3) of the said Act in accordance with the procedure specified therein;

And whereas the above said notification was amended *vide* notification number S.O. 695(E), dated 4th April, 2011 which, *inter-alia,* provided for obtaining prior environment clearance in respect of mining projects [ref.: item 1a of the schedule to the Principal Notification *vide* S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006] at the stage of renewal of mine lease for which the project proponent is required to submit application for environmental clearance up to one year prior to the date of renewal.

And whereas, it has been decided that the prescribed period of one year prior to the date due for renewal of mine lease should be increased to two years for submitting application for environmental clearance. And whereas, it has been further decided to provide a period of two years from the date of issue of the notification *vide* S.O. 695(E), dated the 4th April, 2011 for obtaining environmental clearance for all such mine leases, which had been operating as on 4th April, 2011 with requisite valid environmental clearance, whose renewal fell due on or after 4th April, 2011.

And whereas, clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said Environment (Protection) Rules provides that whenever the Central Government considers that prohibition or restriction of any industry or carrying on any processes or operation in any area should be imposed, it shall be given notice of its intention to do so.

And whereas, sub-rule (4) of rule 5 of the said Environment (Protection) Rules provides that, notwithstanding anything contained in sub-rule (3) whenever it appears to the Central Government that it is in public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of Section 3 of the said Environmental (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of sub-rule (3) of rule (5) of the said Environment (Protection) Rules, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely :—

In the Schedule to the said notification against item 1(a), in column (5) for the entries, the following entries shall be substituted namely,

"General conditions shall apply.

**Note :**

(i) Prior environment clearance is required at the stage of renewal of mine lease for which an application shall be made up to two years prior to the date due for renewal. Further, a period of two years with effect from the 4th April, 2011 is provided for obtaining environmental clearance for all those mine leases, which were operating as on the 4th April, 2011 with requisite valid environmental clearance and which have fallen due for renewal on or after the 4th November, 2011.

(ii) Mineral prospecting is exempted."

[F. No. 3-101/2010-IA-III]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.

**Note :**— The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and amended *vide* S.O. 1737(E), dated the 11th October, 2007, S.O. No. 3067(E), dated 1st December, 2009 and S.O. No. 695(E), dated 4th April, 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.